

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 45 /

दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 19/02/2025

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-ए/8770 दिनांक-17.12.2024 के द्वारा स्थापना में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को न्यायालयों में लंबित पुराने प्रकरणों के निराकरण हेतु समानता के आधार पर विभाजन करने संबंधी निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालयों से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	तृतीय व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा	Civil Suit No. 27-34, 47-55, 97-110	चतुर्थ व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा
		Civil Suit No. 87-96	प्रथम व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा
2.	प्रथम व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा	Civil Suit No. 13-15	चतुर्थ व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा
		Civil Suit No. 10-12, 27-33, 50-61, 91-100	प्रथम व्य0 न्याया0 वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश रीवा

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 19/02/2025

पृष्ठांकन क्र0 869 /

दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. तृतीय / चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
2. प्रथम / चतुर्थ / अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0 / डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)